न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 03/2022

1. लीलूस आयु 26 वर्ष पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. कमला देवी आयु 60 वर्ष पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।
3. चन्दा कंवर आयु 28 वर्ष पुत्री मेघसिंह जातिराजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
4. नन्दु कंवर आयु 32 वर्ष पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
5. जयसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
6. लालासिंह आयु 52 वर्ष पुत्र अर्जुन सिंह, जाति राजपूत निवासी बामलास तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण—

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ।
2. तहसीलदार महोदय गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।
3. महावीर सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास,तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस—

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021 तहसीलदार उदयपुरवाटी

उपस्थितिः—

1. श्री झाबरसिंह शेखावत, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री अरविन्द कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय— दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध आदेश ग्राम बामलास [illegible] संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021, तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। [illegible] में अपील के तथ्य इस प्रकार

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अंकित किये गये हैं कि – अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2021 को नामांतरकरण संख्या 2165 स्वीकृत किया गया है जो पत्रावली से, दस्तावेजी साक्ष्यों से, विक्रय पत्र से राजस्व रिकार्ड से, विधि विरूद्ध होने की वजह से उक्त नामान्तरकरण अपास्त होने योग्य है। विवादित विक्रय पत्र दिनांक 12.9.1994 का है। उक्त विक्रय पत्र में मृतक हनुमान सिंह का हिस्सा 3/4 में से दर हिस्सा 1/6 अंकित किया गया है। जबकि मृतक हनुमानसिंह का हिस्सा 1/10 है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से अधिक का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 3 ने उप पंजीयक उदयपुरवाटी से दिनांक 12.9.1994 को तस्दीक करवा लिया था। इस प्रकार से उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से नल एण्ड वाइड है तथा आज तक उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट नंबर–3 का कब्जा काश्त भी नहीं है, इसलिए उक्त इंतकाल खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का कथन है कि मृतक हनुमानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह नाऔलाद दिनांक 26.9.1999 को फोत हो चुका है। अपीलांट मृतक हनुमान सिंह के उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि अपीलांट नंबर 6 मृतक हनुमानसिंह का सगा भाई है तथा अपीलांट नंबर 1 लगायत 5 के पिता का भाई था तथा अपीलांट नंबर 2 का ज्येष्ठ था तथा उक्त विक्रय पत्र विधि विरूद्ध होने की वजह से सन 1994 से लेकर सन 2020 तक इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ, लेकिन रेस्पोडेंट्स नंबर 1, 2 से रेस्पोडेंट नंबर 3 ने विधि विरूद्ध साजकर दिनांक 28.12.2021 को इंतकाल तस्दीक करवाया है, विक्रय पत्र 27–28 वर्ष पुराना था। जबकि 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर निर्णय व डिक्री की भी पालना कानूनन नहीं की जा सकती है। बिना निर्णय व डिक्री के 27–28 वर्ष पुराने विधि विरूद्ध विक्रय पत्र को आधार बनाकर इंतकाल दिनांक 28.12.2021 को विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी भी सह–खातेदार को नोटिस नहीं दिया तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही मौका देखा गया तथा ना ही इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट मंगवायी गई, मात्र रेस्पोडेंन्ट नंबर 3 के शपथ–पत्र को ही आधार बनाकर इंतकाल तस्दीक किया है। ग्राम बामलास की तहसील गुढा गौड़जी है तथा इंतकाल तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किया गया है, जो तहसीलदार उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से उक्त [illegible] अपास्त होने योग्य है। अंत में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 2165 को निरस्त किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निवेदन किया गया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2002 पेज 443, आर.आर.डी 1998 पेज 128 पेश किये गये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2021 को नामांतरकरण संख्या 2165 स्वीकृत किया गया है जो विवादित विक्रय पत्र दिनांक 12.9.1994 का है। उक्त विक्रय पत्र में मृतक हनुमान सिंह का हिस्सा 3/4 में से दर हिस्सा 1/6 अंकित किया गया है। जबकि मृतक हनुमानसिंह का हिस्सा 1/10 है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से अधिक का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 3 ने उप पंजीयक उदयपुरवाटी से दिनांक 12.9.1994 को तस्दीक करवा लिया था। इस प्रकार से उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से नल एण्ड वाइड है तथा आज तक उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट नंबर–3 का कब्जा काश्त भी नहीं है, इसलिए उक्त इंतकाल खारिज होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मृतक हनुमानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह नाऔलाद दिनांक 26.9.1999 को फौत हो चुका है। अपीलांट मृतक हनुमान सिंह के उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि अपीलांट नंबर 6 मृतक हनुमानसिंह का सगा भाई है तथा अपीलांट नंबर 1 लगायत 5 के पिता का भाई था तथा अपीलांट नंबर 2 का ज्येष्ठ था तथा उक्त विक्रय पत्र विधि विरूद्ध होने की वजह से सन 1994 से लेकर सन 2020 तक इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ, लेकिन रेस्पोडेंट्स नंबर 1, 2 से रेस्पोडेंट नंबर 3 ने विधि विरूद्ध साजकर दिनांक 28.12.2021 को इंतकाल तस्दीक करवाया है, जबकि विक्रय पत्र 27–28 वर्ष पुराना था। जबकि 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर निर्णय व डिक्री की भी पालना कानूनन नहीं की जा सकती है। बिना निर्णय व डिक्री के 27–28 वर्ष पुराने विधि विरूद्ध विक्रय पत्र को आधार बनाकर इंतकाल दिनांक 28.12.2021 को विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी भी सह–खातेदार को नोटिस नहीं दिया [illegible] अ[illegible]ंटस को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही [illegible] देखा गया तथा ना ही इंतकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक करने से पूर्व कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट मंगवायी गई, मात्र रेस्पोडेंन्ट नंबर 3 के शपथ–पत्र को ही आधार बनाकर इंतकाल तस्दीक किया है। ग्राम बामलास की तहसील गुढा गौड़जी है तथा इंतकाल तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किया गया है, जो तहसीलदार उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से उक्त इंतकाल अपास्त होने योग्य है। अंत में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 2165 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र एवं काश्तकार महावीर सिंह के शपथ पत्र के आधार पर विक्रेता हनुमान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी बामलास के 1/10 हिस्से का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं काश्तकार के शपथ–पत्र के आधार पर विक्रेता हनुमान सिंह के 1/10 हिस्से तक इंतकाल संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021 तस्दीक किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की इंतकाल संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021 की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021 हल्का पटवारी व जांच भू0 अ0 निरीक्षक व महावीर सिंह के शपथ–पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड शपथ–पत्र, विक्रय–पत्र, एवं नामांतरकरण संख्या 2165 में दर्ज खसरा नंबरान व रकबा में विरोधाभाष है, अथार्त खसरा नंबर 695 रकबा 1.73 एवं 733 रकबा 1.46 हैक्टर का कोई उल्लेख नहीं है यह किसके हिस्से में दर्ज किये गये हैं ना ही पत्रावली पर राजस्व रिकार्ड उपलब्ध है। नामांतरकरण संख्या 2165 में महावीर सिंह के नाम दर्ज हिस्से में और शपथ पत्र में उनके बताये गये हिस्से में भी अंतर है। अधीनस्थ [illegible] तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा केवल शपथ पत्र के आधार पर ही विक्रय पत्र में संशोधन कर उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है जिसमें खसरा नंबरान व रकबा आपस में मेल नहीं खाते। जहां तक विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं.

को 12 वर्ष से अधिक पुराना होने का प्रश्न है, मेरी राय में किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैद्यता के संबंध में कानूनन कोई अवधि निर्धारित नहीं है, जब तक वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2165 दिनांक 28.12.2021 ग्राम बामलास निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुढा गोड़जी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र आदि समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested